	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-1-19	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो की बहस सुनी गई। आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 31-1-19 को पेश हो।	
31-1-19	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो की बहस दिनांक 25-1-19 को सुनी गयी थी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया। कि प्रार्थीगणो को अस्थाई निषेधाज्ञा नही मिली तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। मैंने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो एंव प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. के तहत मूल वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	